प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 27-02-2016 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 27-02-2016 को प्रातः 11:00 बजे कुलपति सचिवालय में प्रो. चन्द्रकला पाडिया, कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. चन्द्रकला पाडिया (कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर)	अध्यक्ष
2.	डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित माननीय विधायक)	सदस्य
3.	डॉ. श्रवण सिंह (प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राज. सरकार)	सदस्य
4.	डॉ. एस. एन. शर्मा (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य)	सदस्य
5.	डॉ. भुवनेश गुप्ता (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निजी महाविद्यालय प्राचार्य)	सदस्य
6.	प्रो. एम.एम. सक्सेना (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
7.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
8.	श्री भंवर सिंह चारण	सदस्य सचिव

माननीय कुलपति महोदया द्वारा प्रबन्ध मण्डल बैठक में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई :-

बैठक के प्रारम्भ में माननीय सदस्य डॉ. एन.एन. शर्मा ने सदन से अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव (सदस्य सचिव) को प्रबन्ध मण्डल बैठक में वोटिंग का अधिकार प्राप्त नही है। उक्त वक्तव्य पर माननीया अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा से प्राप्त पत्र क्रमांक F.20(4)Edu-4/2004 Part Dated 25-06-2014 के द्वारा प्रबन्ध मण्डल एवं विद्या परिषद में कुलसचिव (सदस्य सचिव) के अधिकारों के सम्बन्ध में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :-

.... peruse provisions of Maharaja Ganga Singh University Act Section 19(1) (I) as under

Board of Management :

Section 19(1) iv) - " the Registrar of the University , Member Secretary "

Academic Council :

Section 21(1) I) - " the Registrar of the University , Member Secretary "

From the above provisions it is clear that Registrar is also member of both these bodies of the Universities. Hence he has same power as any other member of the board.

तद्नुसार सदस्य सचिव ने स्पष्ट किया कि उपरोक्तानुसार कुलसचिव को अन्य सदस्यों की भांति समान अधिकार प्राप्त हैं।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-विशेष/2016/328

परीक्षात्मक एवं अन्य कार्यो हेतु विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय/ पारिश्रमिक/समयोपरि भत्ते की दरों के पुनर्निर्धारण हेतु प्रस्ताव

विश्वविद्यालय में अतिरिक्त समय में परीक्षात्मक एवं अन्य कार्यो हेतु प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार मानदेय/पारिश्रमिक/समयोपरि भत्तो का भुगतान किया जाता रहा है। वर्ष 2011 में प्रबन्ध मण्डल की 16 वीं बैठक दिनांक 22-10-2011 के विनिर्णय संख्या 176 के अनुसार मानदेय/पारिश्रमिक/समयोपरि भत्तों में संशोधन/पुनर्निधारण किया जाता है तो उसके लिए प्रबन्ध मण्डल का अनुमोदन आवश्यक है। चुंकि परीक्षा वर्ष 2015 से इस विश्वविद्यालय एवं राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षात्मक कार्यो यथा प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका जांच, परीक्षा आयोजन हेतु केन्द्रों पर दिये जाने वाले मानदेय आदि का पुनर्निधारण किया गया है एवं राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा भी परीक्षा वर्ष 2015 से विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय/पारिश्रमिक/समयोपरि भत्तो का पुनर्निधारण कर दिया गया है, अतः इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय परीक्षा 2015 के लिए कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में किये गए परीक्षात्मक एवं अन्य कार्यो हेतु विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय/पारिश्रमिक/समयोपरि भत्ते की दरों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की 26 वीं बैठक दिनांक 04-11-2015 में एजेण्डा बिन्दु संख्या 323 के रूप में प्रस्तुत किया गय थाा। उक्त बैठक में चर्चा नही होने के कारण उक्त एजेण्डा बिन्दु के सम्बन्ध में कोई निर्णय नही हो सका। विश्वविद्यालय में परीक्षा 2016 का कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा विश्वविद्यालय में पदस्थापित कर्मचारियों की कार्य के अनुपात में संख्या अत्यल्प होने एवं कर्मचारियों को परीक्षा वर्ष 2015 में अतिरिक्त समय में किये गए कार्यो का पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान नही होने के कारण परीक्षा वर्ष 2016 के परीक्षात्मक कार्यो को समय पर सम्पादित करवाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः परीक्षा 2016 की निकिटता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के समयबद्ध एवं सफल संचालन हेतु परीक्षात्मक एवं अन्य कार्यो हेतु विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय/पारिश्रमिक/समयोपरि भत्ते की दरों के पुनर्निर्धारण हेतु समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में स्टॉफ की अत्याधिक कमी एवं कार्यो की अधिकता एवं समयबद्वता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में विश्वविद्यालय का कार्य सम्पादन करवाया जाता है जिसकी एवज में राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति इस विश्वविद्यालय में भी मानदेय दिया जाना है। राज्य के अन्य विश्वविद्यालय में कार्मिकों के मानदेय में हुई बढोतरी को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन कर मानदेय का पुनर्निधारण करवाया गया है जिसकी रिपोर्ट एजेण्डा बिन्दु के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पर कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर समिति द्वारा अनुशंसित दरो में कुछ संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। ज्ञापन की प्रति भी आपको प्रेषित है।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय/पारिश्रमिक/समयोपरि भत्ते की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा एवं कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान माननीय सदस्य डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी ने अतिरिक्त समय में किये जाने वाले कार्यो एवं परीक्षा सम्बन्धी अन्य बिन्दुओं के बारे में जानकारी चाही

जिसका प्रत्युत्तर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. एम.एम. सक्सेना द्वारा विस्तार से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय सदस्य डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी ने यह भी जानना चाहा कि समिति द्वारा प्रस्तावित दरें महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के समान है अथवा भिन्न । इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि राज्य के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर पर मानदेय/पारिश्रमिक की दरों का निर्धारण किया जाता है। विचार-विमर्श के दौरान सदस्य सचिव ने मानदेय/पारिश्रमिक/समयोपरि भत्तों के सम्बन्ध में एजेण्डा बिन्दु के साथ प्रस्तुत टिप्पणी का उल्लेख करते हुए असहमति व्यक्त की । साथ ही उडनदस्ता टीम को दिये जाने वाले मानदेय के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति व्यक्त की।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में कार्य की अधिकता, समयबद्वता, उपलब्ध अत्यल्प कार्मिकों की संख्या एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर की दरों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय समय के अतिरिक्त समय में सम्पादित विश्वविद्यालयों कार्यो हेतु समिति द्वारा अनुशंसित दरो में आंशिक संशोधन करते हुए परीक्षा वर्ष 2015 से निम्नानुसार मानदेय/पारिश्रमिक/समयोपरि भत्तों आदि को स्वीकृत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया :-

A. Main Examination

1. Exam Conduct Sections

(a) *For checking of examination forms.

S.No.	Particulars	Rate
1.	B.A./B.Sc./B.Com./BCA/ B.B.A., B.F.A. Part-I, LL.B.-I	Rs. 2.50 Per Form
2.	B.A./B.Sc./B.Com./BCA/ B.B.A, B.F.A. Part-II, and LL.B.-II	Rs. 4.50 Per Form
3.	B.A./B.Sc./B.Com./BCA/ B.B.A., Part-III, LL.B. III, B.F.A. Part-III and IV, .B.A,/B.Sc. Additional	Rs.7.00 Per Form
4.	B.Ed./B.P.Ed.,Diploma and Certificate Courses	Rs. 4.50 Per Form
5.	M.A./M.Sc./M.Com. (Pre.), L L.M. Part-I, M.Ed. P.G. Diplomas	Rs. 3.50 Per Form
6.	M.A./M.Sc./M.Com. (Final.), L L.M. Part-II , M.Phil.	Rs. 7.50 Per Form

*Note :

1. Examination forms should be completed well before the commencement of examinations as may be directed by the Controller of Examination.
2. 50% examination forms checking work will be consideded to be done during office hours for which no payment of remuneration/honorarium will be made.
3. The upper limit for checking of examination forms will be 20000 per person from examination 2016 onwards. In exceptional cases the limit can be relaxed by the Hon'ble Vice Chancellor. The job will be verified by the concerned A.R./D.R.

(b) For other related works :

S.No.	Particulars	Rate
1.	Proof reading of checklists & roll lists, dispatch & disposal of querries and putting roll number on the application forms.	Rs. 1.80 Per Form
2.	Separation of Computer copy & Office copy of exam forms by class IV/Labours	Rs. 0.25 Per Form
3.	Preparation of lists for sending original documents of N/C candidates	Rs. 0.30 Per Form
4.	Pasting of envelops and other work by class IV/Labour	Rs. 0.25 Per Form

2. Enrollment Section

S.No.	Particulars	Rate
1.	For checking of Enrollment & Eligibility forms of Regular & N/C Students.	Rs. 2.80 Per Form
2.	Checking of Checklists, dispatch & disposal of querries and Putting enrolment number on enrolment forms of regular & NC students	Rs. 1.00 Per Form
3.	Preparing checklist of regular and N/C Students for Enrolment	Rs. 0.30 Per Form

Note:

1. Enrolment work should be completed at least 30 days before the commencement of main examination.
2. 50% work of enrollment/eligibility forms will be considered to be done during office hours for which no remuneration/honorarium will be given.

3. Secrecy Section

S.No.	Particulars	Rate
1.	Preparation of Q.Ps material & dispatch to examiner.	One Month's Basic Pay
2.	Dispatch of Q.Ps to examination centers.	20 Days Basic Pay
3.	Dispatch of Practical Examiners Panels, Collection & Maintenance of practical examination awards	15 Days Basic Pay
4.	Posting of Practical examination awards 1- Team Incharge 2- Other Team members	 Rs. 0.15 Per Entry Rs. 0.50 Per Entry
5.*	Receipt, packeting and dispatch of answer books for assessment :- a- University Regular Staff (Officers/Employees) b- Retired Persons c- Class IV (Regular) d- Labours/Drivers(Packeting/Celler Team/Other work)	 One Month's Basic Pay One Month's Fixed Pay 1.5 Month's Basic Pay 2 Month's Wages
6	Dispatch of Q.P. cartons, collection of bundles from various colleges and delivery to and collection from examiners. 1. Ministerial Staff (Including hard duty, phone etc.) 2. Peon/Labours	 Rs. 2.00 Per Packet/ Carton/ Bundle Rs. 3.00 Per Packet / Carton/ Bundle
7	Checking & Verifying Examiner's Bill	Rs. 1.00 Per Bill

* Note : The upper limit of members of following teams will be as below from examinaton 2016 onwards:-

Celler – Incharge -01, Ministrial Staff/Ret. Emp. -06, D.W.- 10
Packeting Team : Incharge-01, Ministrial Staff/Ret. Emp. -04, D.W.-03
Answer Book Dispatch : Incharge-01, Ministerial Staff/Ret. Emp. -06, D.W.-08

4. Supervisory Staff /Other Staff

S.No.	Particulars	Rate
1.	Honorarium to COE, DRs, ARs ,PS to Vice Chancellor, A.O., AAO-I, Estate Officer and SOs for supervision of works of sections/departments under their control.	Two months' Basic Pay
2	Honorarium to regular/retired non-teaching employees not covered under S.N. 1 above. Those working in the office of Controller of Examination.i.e. secrecy, examination section, degree & enrollment sections would draw atleast two months basic pay if their remuneration is less than two months basic pay.	Two months' Basic Pay
3.	Remuneration to any other officers/ employees including retired persons will be sanctioned by the Hon'ble Vice-Chancellor on the basis of specified additional work assigned to them provided that such a work is not included in above items.(subject to approval of BOM)	As approved by Hon'ble Vice Chancellor

B. Re-Evaluation Work

1.	Receipt-Dispatch Section :-		
		For receipt of revaluation forms	Rs. 1.50 Per Form for Clerks
		For receipt and dispatch of revaluation forms	Rs. 0.50 Per Form for peon/Labour
2.	Account Section :-		
	1.	Checking, Passing & Payment of Examiners' Bills	Rs. 3.00 Per Bill
	2.	Refund of Fees IPO/DD of rejected forms	Rs 3.00 Per Form
	Note:- Distribution of the above remuneration will be decided by the Comptroller		
3.	Secrecy Section		
	I. Checking of forms, check lists, OMS, Prescribed fees, submission of check list to computer section for preparing copy list & packeting list of answer books. II. Marking of packet number for retrieval of Answer Books from the Cellor Note:- These works would be carried out under supervision of Section Officer, Secrecy.		Rs. 1.80 Per Form Rs. 0.75 Per Entry
	III.	Retrieval of Answer Books from cellar as per copy list. Proper maintenance of registers/records of Answer books retrieved :- a. Cellar Incharge/other deputed serving/retired Clerks b. Peon/Labour	Rs 1.50 Per A/book Rs 1.50 Per A/book
	IV.	Tearing of front pages. Preparations of packets. Handing over the packets to CE/VC and maintenance of registers/records.	

		a. Official of dispatch team (equal distribution) b. Peon/Labour	Rs. 4.50 Per A/book Rs. 1.50 Per A/book
	V.	Getting re-evaluated answer books & submission of awards to computer section/secrecy and preparation of result.	Rs. 1.50 Per A/book
	VI.	Dispatch of re-evaluation mark sheets/letters a. Concerned officials b. Peon/Labour	Rs.0.40 Per MS/Letter Rs.0.25 Per MS/Letter
	VII.	Correction in TR's of secrecy and other Exam Sections.	Rs. 1.20 (Payable to each section for each Correction)

Note:-

1. Payment of above remuneration/Honorarium will be made on completion of assigned work within the prescribed time as mentioned in the order.
2. Proper record of additional work/persons engaged for the purpose of payment of remuneration/Honorarium/overtime be maintained by the concerning team incharge.

C. Result Committee

Pre-examination work		
1.	For checking of exception report, Tracing of wanted awards, prepration result, checking and declared of result.	Rs. 0.40 Per Student

D. Degree Work

Pre-examination work		
For Ministrial Staff		
1.	Checking of degree list from T.R./ Examination forms ((Mainly in hindi version)	Rs. 0.50 Per Candidate
2	Checking of degree/diploma	Rs. 1.00 Per Candidate
3.	Checking of certificate	Rs. 0.30 Per Candidate
4.	Class IV/Labour	Rs. 0.10 Per Candidate

E. Control Room

1.	Ministrial Staff	One Month Basic Pay
2	Labour	One Month wages

F. Flying Sqad Committee

1	Incharge (1) Deputy Incharge (1) Assistant Incharge (1) Other Member (1) Ministrial Staff (1) Peon/Labour (1)	Rs. 300/- Per Day Rs. 200/- Per Day Rs. 150/- Per Day Rs. 150/- Per Day Rs. 80/- Per Day Rs. 60/- Per Day

Note : Maximum limit for payment is 60 days

H. MPCET Work

Pre-examination work

S.No.	Item	Rate
1.	For receipt MPCET forms	Rs. 1.50 Per form
2.	For checking of forms, updation of checklist etc.	Rs.9.00 Per Form

Conduct of examination work

S.No.	Particular	Rate	Conveyance charge
1	Centre Superintendent	Rs. 450/-	Rs. 100/-
2	Additional Centre Superintendent	Rs. 375/-	Rs. 100/-
3	Co_ordinator,MPCET	Rs. 1500/	-
4.	Observer	Rs. 1500/	-
5.	Deputy/Assistant Centre Superintendent	Rs. 300/-	Rs. 100/-
6	Invigilators/Supervisors	Rs. 300/-	Rs. 75/-
7.	Internal flying squad	Rs. 300/-	Rs. 75/-
8.	Ministerial Staff	Rs. 225/-	Rs. 75/-
9.	Class IV	Rs. 150/-	Rs. 50/-
10.	Driver/Plumber/Electrician/Chowkidar	Rs. 150/-	Rs. 50/-

Note : Remuneration to Centre Superintendent, Additional Centre Superintendent and Deputy/Assistant Centre Superintendent will be payable for 03 sessions, Invigilators and flying squad will be payable for 02 sessions, Ministerial Staff, Class-IV employees will be payable for 03 sessions, Plumber/Electrician /Chowkidar for 02 sessions and University Driver will be payble for 03 session.

इसके अतिरिक्त परीक्षा आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्र के शुल्क के रूप में रू. 20/- प्रति परीक्षार्थी एवं परीक्षा दिवस को रू. 5/- प्रति परीक्षार्थी की दर से अल्पहार/विविध खर्चो हेतु भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

I MISC. WORK

** (Already Approved by BOM)

1	**Coordinator's Remuneration** Answer book assessment through coordinator University jurisdiction Outside jurisdiction Paper setting through coordinator	 Rs. 100/- Per Packet Rs. 150/- Per Packet Rs. 50/- each paper
2	**Unfair Means Committee Meeting Remuneration**	Rs. 50/- per case
3	**Grievance Committee Meeting Remuneration.**	Rs. 250/- per meeting (Maximum 15 meeting)
4	**Flying Team Members Remuneration** Local (belonging to the same place) Outside	 Rs. 300/- Per Day Rs. 450/- Per day +DA
5	**Inspection of College**	Rs. 1000/- Per College & Per Inspector Order issued vide no. 2315 dated 09-10-2015

Note-

1- Payment of Remuneration/Honorarium will be made on verification of work by the concerned supervisor/team incharge and on recommendation of Controller of Examination/ Comptroller/Coordinator/ Registrar.
2- Payment of Remuneration/Honorarium will be made only if the assigned work is completed within the prescribed time as mentioned in the order.
3- Payment of Remuneration/Honorarium will be made only when specific orders are issued for person engaged in remunerative work and proper record is maintained as per budget. Finance & Accounts Rule 101 M.D.S.U. Ajmer which is applicable in this University.
4- Basic pay of Remuneration/ Honorarium will be considered pay as on 1 July of the respective session.
5- The maximum limit of all type Remuneration/Honorarium in aggregate is fixed Rs. 1,00,000/- for all regular & retired employees.
6- All the remunerative work will be done in office only and no matrial will be taken away of University premises.
7- In any case clarification/interpritation of order is required the committee of Registrar, Comptroller and Controller of Examination will decide the matter.

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-विशेष/2016/329

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 03-11-2015 की पालना में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसियट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा के सम्बन्ध में

एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6745/2014 श्री अनिल कुमार दुलार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29-10-2015 की पालना में प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 02-11-2015 को आयोजित की गई। उक्त बैठक में लिये गए निर्णयानुसार सहायक आचार्य कम्प्यूटर विज्ञान के 02 रिक्त पदों पर चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन कर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सह-आचार्य एवं आचार्य पदों हेतु प्रस्तुत अनुशंसा के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23-05-2014 के अध्ययन एवं ए.पी.आई. स्कोर की जांच उपरान्त ही कुछ समय पश्चात विचार करने का निर्णय लिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 23-05-2014(याचिका संख्या 1772/2014), अभ्यर्थी श्री अनिल कुमार दुलार दायर याचिका (संख्या 6745/2014) एवं आचार्य व सह आचार्य के पदो के लिए साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की विषय विशेषज्ञों द्वारा पुनः जांच की गई ए.पी.आई. स्कोर की प्रतियां आदि समस्त दस्तावेज माननीय सदस्यों को दिनांक 03-11-2015 को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये गए। प्रबन्ध मण्डल की 26 वीं बैठक दिनांक 04-11-2015 के दौरान भी उक्त प्रपत्र उपस्थित माननीय सदस्यों को उपलब्ध भी करवाये गए।

इसी क्रम में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6745/2014 श्री अनिल कुमार दुलार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 03-11-2015 के अनुसार "......... Accordingly, while taking on record the order dated 02-11-2015, the instant writ petition is hereby dismissed as infructuous. However, the counsel for the respondent University submits that result of other posts will be declared after completing of all formalities.

In view of above, the respondent University is directed to declare the result of all the posts as ordered by this court in S.B. Civil writ petition No. 1772/2014 decided on 23.05.2014."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त निर्णय दिनांक 03-11-2015 एवं विश्वविद्यालय अधिवक्ता से प्राप्त विधिक राय दिनांक 27-11-2015 की छायाप्रतियां भी विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 31439-31450 दिनांक 18-12-2015 के द्वारा माननीय सदस्यों को प्रेषित की गई।

उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 03-11-2015 की पालना हेतु अभ्यर्थी क्रमशः श्री जोगेन्द्र सिंह पंवार एवं श्री भगवानदास बुलचंदानी के अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह गोदारा द्वारा दिनांक 07-01-2016 को विश्वविद्यालय में विधिक नोटिस ऑफ कन्टेम्प्ट प्रेषित कर निर्णय की पालना करने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही एक अन्य आवेदनकर्ता डॉ. सी.एस. लाम्बा द्वारा भी उक्त निर्णय की पालना करने हेतु प्रतिवेदन दिनांक 02-02-2016 प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 03-11-2015 की पालना में आचार्य एवं सह-आचार्य पदों हेतु चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पर निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 03-11-2015 की पालना में आचार्य एवं सह-आचार्य पदों हेतु चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पर निर्णय किया जाकर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। माननीय सदस्य डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी ने पूर्व की भांति सदन से अनुरोध किया कि शिक्षकों के चयन सम्बन्धी कार्यवाही के दौरान तत्समय प्रबन्ध मण्डल का सदस्य न होने के कारण चयन प्रक्रिया, चयन समिति सदस्यों आदि की जानकारी नही होने एवं उक्त प्रक्रिया में भागीदार न होने के कारण मैं इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होना चाहता।

तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं के लिफाफे खोलकर पद वार अनुशंसा को प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिन पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

1. **आचार्य- कम्प्यूटर विज्ञान (01 पद)** - उक्त पद हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा में किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त नही पाया गया।
   निर्णय : प्रबन्ध मण्डल द्वारा चयन समिति की अनुशंसा का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2. **आचार्य- सूक्ष्म जीव (01 पद)** - उक्त पद हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा में किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त नही पाया गया।
   निर्णय : प्रबन्ध मण्डल द्वारा चयन समिति की अनुशंसा का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3. **सह आचार्य- कम्प्यूटर विज्ञान (02 पद)** - उक्त पदों हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा में किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त नही पाया गया।
   निर्णय : प्रबन्ध मण्डल द्वारा चयन समिति की अनुशंसा का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4. **सह आचार्य- इतिहास (01 पद)** - उक्त पद हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा में किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त नही पाया गया।
   निर्णय : प्रबन्ध मण्डल द्वारा चयन समिति की अनुशंसा का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

5. **सह आचार्य– सूक्ष्म जीव विज्ञान (02 पद)** – उक्त पदों हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा में निम्न अभ्यर्थियों का चयन किया गया –

1. डॉ. भगवान दास बुलचंदानी
2. डा. दीपाली गुप्ता

चयन समिति द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया –

1. डॉ. लीना परिहार
2. डॉ. सुनीता चौहान

6 **सह आचार्य– अंग्रेजी (01 पद)** – उक्त पद हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा में निम्न अभ्यर्थी का चयन किया गया :-

1. डॉ. कविता त्यागी

प्रतीक्षा सूची में किसी भी अभ्यर्थी के नाम का उल्लेख नही पाया गया।

उपरोक्त अनुशंसाओं के अवलोकन पर पाया गया कि सूक्ष्म जीव विज्ञान विषय में सह आचार्य पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसित दोनो अभ्यर्थियों का विज्ञापन में अंकित अर्हता अनुसार API Score 300 (न्यूनतम वांछित) से कम होने के कारण दोनो अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अपात्र पाये गए। चर्चा के दौरान डॉ. भुवनेश गुप्ता ने सदन से अनुरोध किया कि सह आचार्य, सूक्ष्म जीव विज्ञान विषय में प्रतीक्षा सूची में अनुशंसित एवं सह आचार्य, अंग्रेजी विषय में अनुशंसित अभ्यर्थी की योग्यता, अनुभव, ए.पी.आई. स्कोर, वरीयता सूची एवं चयन का आधार आदि का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 2010 एवं राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम, 1974 में दिये गए प्रावधानों के आलोक में सभी पहलुओं के परीक्षण हेतु प्रबन्ध मण्डल सदस्यों की समिति का गठन किया जावे। उक्त अनुरोध को प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति स्वीकार करते हुए निम्नानुसार समिति के गठन का निर्णय लिया गया :-

1. डॉ. एस.एन. शर्मा – सदस्य, प्रबन्ध मण्डल
2. डॉ. भुवनेश गुप्ता – सदस्य, प्रबन्ध मण्डल
3. डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण – सदस्य, प्रबन्ध मण्डल

उपरोक्त समिति दिनांक 02-03-2016 को बैठक आयोजित कर जांच रिपोर्ट/अनुशंसा कुलपति महोदया को प्रस्तुत करेगी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुशंसा पर निर्णय लेने हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया। साथ ही नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से सम्बन्धित होने के कारण कुलपति महोदया को विधिक राय लेने हेतु भी अधिकृत किया गया।

<u>अध्यक्ष महोदया की अनुमति से</u>

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम-विशेष/2016/330

विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 के अनुमोदन का प्रस्ताव

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन- प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं परीक्षा सम्बन्धी सम्पादित कार्यो का उल्लेख करते हुए तैयार किया गया। वार्षिक प्रतिवेदन महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम 2003 की धारा 43 के प्रावधानुसार वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - वार्षिक प्रतिवेदन-2015-16

निर्णय :- प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

- माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से माननीय सदस्य डॉ. एन.एन. शर्मा, डॉ. भुवनेश गुप्ता, डॉ. श्रवण सिंह, डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण ने सदन से अनुरोध किया कि प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित परीक्षात्मक कार्यो हेतु यथा प्रश्न पत्र निर्माण, परीक्षा केन्द्रो को दिये जाने वाला मानदेय आदि का भुगतान करवाया जावे ताकि आगामी माह में आयोजित होने वाली परीक्षा 2016 का सुगम संचालन हो सके। माननीय सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया कि परीक्षा वर्ष 2015 का भुगतान नही होने के कारण परीक्षा 2016 में वीक्षको से परीक्षा का वीक्षण कार्य करवाये जाने में अत्याधिक कठिनाई होगी। सदस्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि उक्त परीक्षात्मक कार्यो हेतु देय मानदेय राजस्थान विश्वविद्यालय के परिनियम का भाग होने के कारण विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 37(4) के प्रावधानुसार प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदित मानदेय माननीय कुलाधिपति महोदया को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है। माननीय कुलाधिपति महोदय से स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(भंवर सिंह चारण)
कुलसचिव